## न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 346 / 2015

संस्थापन दिनांक 10.06.2015

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड म.प्र.

- अभियोजन

## बनाम

1—रामज्ञान पुत्र नादरी प्रसाद जाटव उम्र 50 साल 2—पंकज पुत्र रामज्ञान जाटव उम्र 23 साल 3—सुरेश जाटव पुत्र रणधीर जाटव उम्र 38 साल 4—महेन्द्रसिंह जाटव पुत्र अयोध्या प्रसाद जाटव निवासीगण समता नगर मालनपुर थाना मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0

– अभियुक्तगण

## <u>निर्णय</u>

( आज दिनांक......को घोषित )

- उपरोक्त अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर धारा 294, 323/34, 506 भाग दो भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है शेष विचारणीय धारा 336 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 17.03.15 को 22:00 बजे समता नगर रामज्ञान जाटव के घर के सामने लोढ़ी माता मंदिर के पास मालनपुर जिला भिण्ड पर उतावलेपन या उपेक्षा से पत्थर फेंककर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।
- 2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17.03.15 को 10 बजे जब फरियादी बेतालिसंह अ0सा01 आरोपी रामज्ञान जाटव के घर के सामने से निकल रहा था तभी आरोपी रामज्ञान, महेन्द्र एवं रामज्ञान का दामाद सुरेश एवं लड़का पंकज उसके पास आये और बोले कि तूने हमारा चुनाव में विरोध किया है जब उसने मना किया कि उसने कोई विरोध नहीं किया तो इसी बात पर आरोपीगण ने लात घूंसों से उसकी मारपीट की तथा अश्लील गालियां दीं जब

उसने गाली देने से मना किया तो रामज्ञान ने ईंट फेंककर मारी जो उसके दाहिनी आंख के नीचे लगी तथा आरोपी सुरेश व पंकज ने ईंट के टुकड़े फेंककर मारे जिससे कुछ समय के लिए उसका जीवन संकट में पड़ गया तथा ईंट के गुम्मे उसके दाहिने हाथ के अंगूटा एवं हथेली में लगे। जब उसकी पत्नी एवं भतीजा देवेन्द्र अ0सा02 बचाने आये तो आरोपी महेन्द्र ने देवेन्द्र की भी मारपीट कर दी तथा आरोपीगण ने जान से खत्म कर देने की धमकी भी दी थी। तत्पश्चात फरियादी बेतालसिंह अ.सा.1 की रिपोर्ट पर से थाना मालनपुर में अप०क् 39/15 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी—1 दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

 आरोपीगण ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है।
आरोपीगण की प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि क्या आरोपीगण ने दिनांक 17.03.15 को 22:00 बजे समता नगर रामज्ञान जाटव के घर के सामने लोढ़ी माता मंदिर के पास मालनपुर जिला भिण्ड पर उतावलेपन या उपेक्षा से पत्थर फेंककर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

## //विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष//

- 5. फरियादी बेतालिसंह अ.सा.1 ने कथन किया है कि पिछले वर्ष चुनाव का विरोध मानकर आरोपीगण से झगड़ा हुआ था जिसमें गाली गलौच हुई थी। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ और इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण ने ईंट पत्थर फेंककर मारे जिससे उसका जीवन संकट में पड़ गया। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी—3 और रिपोर्ट प्र0पी—1 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
  - साक्षी देवेन्द्र अ0सा02 ने भी इंकार किया है कि जब आरोपीगण से झगडा हुआ था तब उन्होंने पत्थर फेंककर मारे थे जिससे उसका जीवन संकट में पड़ गया था। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी—4 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
- 7. बेताल अ०सा०1 व देवेन्द्र अ०सा०2 घटना के प्रत्यक्ष और आहत साक्षीगण ने अतः महत्वपूर्ण साक्षी हैं परन्तु उक्त दोनों ही साक्षीगण ने आरोपीगण द्वारा उपेक्षापर्वृक पत्थर फेंके जाने से इंकार किया है। अतः प्रत्यक्ष साक्षीगण द्वारा ही अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने दिनांक 17.03.15 को 22:00 बजे समता नगर रामज्ञान जाटव के घर के सामने लोढ़ी माता मंदिर के पास मालनपुर जिला भिण्ड पर उतावलेपन या उपेक्षा से पत्थर फेंककर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।
- 8. परिणामतः आरोपीगण को धारा 336 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 9. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

10. प्रकरण में जप्त ईंट मूल्यहीन होने से अपील अविध पश्चात नष्ट की जावे और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / – (गोपेश गर्ग) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

ALIMONIA PRIEND PRIEND